अयोग्यताएँ

13. व्यक्ति ग्राम परिषद के सदस्य के लिए अथवा इसका फर्स्ट कैप्टन बनाए जाने के लिए इस कारण अयोग्य ठहरता है यदि –

(क) वह ग्राम साधारण निकाय के देय कर, शुल्क अथवा अन्य बकाया धन राशि को कर, शुल्क और अन्य धन राशि की अदायगी की नियत तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अदायगी में असफल होता है;

(ख) ग्राम साधारण निकाय अथवा ग्राम परिषद के तहत वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारित हो;

(ग) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम परिषद के द्वारा या उसके लिए किए गए किसी कार्य में उसकी भागीदारी या धनीय लाभ हो अथवा ग्राम साधारण निकाय या ग्राम परिषद के साथ अथवा उसके अधीन या उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या रोजगार में लगा हो;

(घ) वह सरकारी कर्मचारी है अथवा नगरपालिका, पंचायती राज संस्थान या जनजातीय परिषद का सदस्य है;

(ड.) दुराचरण के कारण सरकारी सेवा, नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान या जनजातीय परिषद की सेवा से उसे बरखास्त कर दिया गया हो;

(च) उसकी आयु इक्कीस वर्ष की नहीं हुई है;

(छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के तहत सद्व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिया गया हो;

(ज) किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध जिसमें हिंसात्मक अथवा नैतिक भ्रष्टाचार का अपराध शामिल है, के लिए उसे दोषी सिद्ध किया गया हो और उसे कारावास की सजा, जिसकी अवधि तीन माह से कम की न हो, और रिहा होने के पश्चात पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो;

(झ) ग्राम परिषद की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहा हो;

(ञ) वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(ट) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया गया हो;

(ठ) तत्समय लागू किसी नियम के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्य करार दिया गया हो अथवा इस प्रकार अयोग्य रहने के दौरान किसी चुनाव के समय चुनावी अपराध किए हों; अथवा

(ड) खण्ड (च) की शर्तों पर अथवा लोक सभा चुनाव के प्रयोजन हेतु तत्समय लागू किसी नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो ।

अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय

14. यदि किसी व्यक्ति के धारा 4, धारा 7 अथवा 13 में निर्दिष्ट शर्तों पर अयोग्य ठहरने, पर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, उसे उपायुक्त के पास उनके निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा ।

परन्तु शर्त है कि ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय अभिलिखित किए जाने से पूर्व उप आयुक्त चुनाव आयोग की राय लेगा और उनके राय के अनुसार कार्य करेगा ।

सैकेंड कैप्टन का चुनाव

15. (1) इस विनियम के तहत पहली बार ग्राम परिषद के गठन पर अथवा ग्राम परिषद की अवधि के समाप्त होने पर या इसके पुनर्गठन पर सहायक आयुक्त, सैकेंड कैप्टन के चुनाव जो ग्राम परिषद के चयनित उम्मीदवारों में किया जाएगा, के लिए बैठक बुलाएगा ।

(2) चुनाव, संबंधित सहायक आयुक्त की सीधी निगरानी में होगी ।

(3) जिसमें बैठक की अध्यक्षता, ग्राम परिषद के फर्स्ट कैप्टन करेगा जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

(4) ऐसी बैठक में सैकेंड कैप्टन के चयन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होगा ।

(5) मतदान में समानता के मामले में चुनाव के परिणाम सहायक आयुक्त द्वारा चिट्ठी डाल कर उस तरीके से किया जाएगा जैसा उन्होंने निर्धारित किया है ।